न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 138/17 (RCMS No. 2017/00150) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

हजारी पुत्र फूल्या जाति बैरवा निवासी जुवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. रामकरण पुत्र किशन लाल
2. श्रीमती बच्ची पत्नि रामकरण

जाति अहीर निवासी जुवाड तहसील व जिला सवाई माधोपुर

3. राजू लाल पुत्र रामप्रसाद
4. महेन्द्र पुत्र रामप्रसाद
5. रेखावाई पुत्री रामप्रसाद
6. बीना पुत्री रामप्रसाद
7. सन्तरा पत्नि रामप्रसाद

जाति वैरवा निवासी जुवाड तहसील स0 माधोपुर

8. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 17.11.2015 प्रकरण संख्या 152/09

उपस्थितिः—

1. श्री हरीशंकर वैरवा वकील अपीलान्ट
2. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील रैस्पो0

नि र्ण य **दिनांकः—27.06.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 17.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 317/1 रकवा 2 बीघा वांके ग्राम जुवाड अपीलान्ट को आवंटित हुई थी जिसके हाल ख0 नं0 498, 499, 500, 501 रकवा 0.50 हैक्टेयर बनाये गये है, जो सहवन से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिये गये है। अतः अप्रार्थीगण के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्थान पर प्रार्थी/अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जावे। अप्रार्थी/रैस्पो0 ने राजीनामा पेश किया। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने जबाब पेश किया कि साबिक ख0 नं0 317/1 रकवा 2 बीघा वांके ग्राम जुवाड से हाल ख0 नं0 498, 499, 500, 501 किता 4 रकवा 0.50 हैक्टेयर बनाये गये है। जिन पर हजारी पुत्र फूल्या बैरवा का कब्जा काश्त है जबकि हजारी की खातेदारी के ख0 नं0 492/1 रवका 0.51 हैक्टेयर दर्ज है। प्रार्थी/अपीलान्ट हजारी उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी की बजाय ख0 नं0 498, 499, 500, 501 अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गई दादरसी धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत नही आती है। प्रार्थी को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उदघोषणा का दावा पेश करे। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करदिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि भू प्रबन्ध विभाग ने साविक ख0नं0 317 का नक्शा ट्रेस मुताविक कब्जा नही बनाया है। ख0 नं0 317 रकवा 2 बीघा अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग ने अपीलान्ट की खातेदारी में हाल ख0 नं0 492/1 रकवा 0.51 है0 दर्ज कर दिया है जबकि अपीलान्ट का आवंटन के समय से हाल ख0 नं0 498, 499, 500, 501 पर कब्जा काश्त है। पटवारी व तहसीलदार ने कब्जे की पुष्टि की है। पक्षकारों ने लोक अदालत में राजीनामा भी पेश किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे पर कोई गौर नही कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय दिनांक 17.11.15 निरस्त किया जावे तथा राजीनामा के आधार पर रैस्पो0 के नाम दर्ज ख0 नं0 498, 499, 500, 501 अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जावे तथा अपीलान्ट के नाम दर्ज ख0 नं0 492/1 रकवा 0.51 है0 को सिवायचक दर्ज किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि अपीलान्ट का विवादित आराजी ख0नं0 498, 499, 500, 501 पर कब्जा है। उक्त आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज की जाती है तो रैस्पो0 को कोई एतराज नही है। अतः रैस्पो0 को अपील स्वीकार करने में कोई एतराज नही है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 317/1 रकवा 2 बीघा वांके ग्राम जुवाड अपीलान्ट को आवंटित हुई थी जिसके हाल ख0 नं0 498, 499, 500, 501 रकवा 0.50 हैक्टेयर बनाये गये है, जो सहवन से रैस्पो0 रामकरण के नाम दर्ज कर दिये गये है। अतः रामकरण के स्थान पर अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जावे। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश किया। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने जबाब पेश किया कि साबिक ख0 नं0 317/1 रकवा 2 बीघा वांके ग्राम जुवाड से हाल ख0 नं0 498, 499, 500, 501 किता 4 रकवा 0.50 हैक्टेयर बनाये गये है। जिन पर हजारी पुत्र फूल्या बैरवा का कब्जा काश्त है जबकि हजारी की खातेदारी के ख0 नं0 492/1 रवका 0.51 हैक्टेयर दर्ज है।अपीलान्ट हजारी उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी की बजाय ख0 नं0 498, 499, 500, 501 अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गई दादरसी धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत नही आती है। प्रार्थी को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उदघोषणा का दावा पेश करे।

अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पत्रावली के अवालोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट, रैस्पो0 के खातेदारी के खसरा नम्बरान को अपने नाम कराना चाहता है। अपीलान्ट ने खातेदारी के इन्द्राज के लिये धारा 136 का प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दोनों पक्षकारों की सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। किसी की खातेदारी को समाप्त कर अन्य की खातेदारी में धारा 136 के तहत दुरूस्ती नही की जा सकती है। अपीलान्ट को धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट सक्षम न्यायालय में पेश कर चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्ट को कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्देश के साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.11.15 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official